बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04/ख0वि03अधि0-04/2014- 4855 खाद्य, पटना/दिनांक- 24/06/2015
प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
सोन भवन, पटना।
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के अन्तर्गत राज्य अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान का शतप्रतिशत (FAQ) सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में दिनांक 31.07.15 तक विस्तारित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 4492 दिनांक 09.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- 5(19)/2014-पी0वाई-1/पार्ट, दिनांक 16.06.2015 की **प्रतिलिपि संलग्न** करते हुए कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2014-15 राज्य अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान का मिलिंग कराकर शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में हस्तान्तरित करने की अंतिम तिथि 31.07.15 तक निर्धारित कर दी गई है। खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अंतर्गत सी0एम0आर0 प्राप्ति के लिए अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध के आलोक में भारत सरकार द्वारा सी0एम0आर0 की प्राप्ति की अवधि विस्तारित कर अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2015 तक कर दी गई है।

भारत सरकार के निदेशानुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर मिलरों से शत-प्रतिशत (FAQ) सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभूकों के बीच किया जाता है। **धान की मिलिंग ससमय नहीं किये जाने की स्थिति में धान एवं सी0एम0आर0 की गुणवत्ता में ह्रास हो जायेगी।** अधिप्राप्ति किये गये धान का ससमय मिलिंग कराकर शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण (FAQ) सी0एम0आर0 प्राप्त करने में जिला प्रबंधक/कर्मियों के स्तर पर कोई शिथिलता बरती जाती है तो इनके विरुद्ध जबाबदेही निर्धारित करते हुये कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

अतएव पुनः अनुरोध है कि शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण (FAQ) सी0एम0आर0 दिनांक 31.07.15 तक हर-हाल में मिलरों से बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त कर लिया जाय। निर्धारित समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 मिलरों से बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त नही किये जाने पर इसकी पूर्ण जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के साथ जिला पदाधिकारियोंकी होगी । यहॉं उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में महालेखाकार द्वारा इस बिन्दु पर अंकेक्षण आपत्ति दर्ज की गई है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
24/6/2015
सरकार के सचिव।

अनु0:- यथोक्त।

D:\Section Iv\2013\Sec 4\KMS 2014-15.doc

230

No.5(19)/2014-Py.I/Part
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

.....

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated the 16th June, 2015.

To

The Secretary
Department of Food and Consumer Protection
Government of Bihar
Main Secretariat
P.O. Sachivalaya
Patna-800015.

Sub:- Extension of time for delivery of CMR of KMS 2014-15 - Regarding.

.....

Sir,

I am directed to refer to Government of Bihar's letter No.प04/ख0वि03गि0-04/2014-4255 dated 27.05.2015 on the above subject and to convey the approval of the Government of India for extension in period for milling of paddy and delivery of Custom Milled Rice (CMR) into the Central Pool for KMS 2014-15 upto 31.07.2015. The delivery of CMR will be as per the cost sheet and FAQ specifications prescribed for KMS 2014-15.

2. The Government of Bihar is informed that further extension will not be allowed as per policy of the Central Government, therefore, the State Government should strictly ensure time bound milling and receiving of CMR from the millers..

Yours faithfully,

(Gautam Kumar Yadav)
Under Secretary to the Govt. of India
Telefax:23383942

Copy to:

1. The Chairman cum Managing Director, Food Corporation of India, 16 - 20 Barakhamba Lane, New Delhi.
2. The Executive Director (East Zone), FCI Zonal Office, Kolkata.
3. The General Manager, Bihar Region, FCI Regional Office, Patna.
4. The Under Secretary (FC A/Cs), Department of Food & PD, New Delhi.
5. Control Room, Department of Food & PD, New Delhi.